

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक:- प.2(9193)सूप्रौ/संस्था/2020/M2-3700

जयपुर, दिनांक 07/01/2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा के अधोलिखित अधिकारियों को वर्ष 2022-23 में अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम एवं पद	पदस्थापन विभाग	जन्म दिनांक	कार्यग्रहण दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	श्री नवीन दत्त माथुर, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर	14-05-1962	06-11-1986	31-05-2022
2	श्री सुनील भाटिया, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर	30-06-1962	06-10-1986	30-06-2022
3	श्री नन्द किशोर मुंशी, प्रोग्रामर	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर	23-06-1962	11-03-1994	30-06-2022
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-सांभर, जयपुर	24-07-1962	18-07-1994	31-07-2022
5	श्री श्याम लाल सैनी, प्रोग्रामर	निर्वाचन विभाग, जयपुर	14-08-1962	15-03-1994	31-08-2022
6	श्री आशुतोष एम. देशपांडे, तकनीकी निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	14-09-1962	01-02-1990	30-09-2022
7	श्री देवेन्द्र माथुर, सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, टोंक	18-09-1962	13-03-1990	30-09-2022
8	श्री कैलाश चंद्र शर्मा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	26-12-1962	12-09-1988	31-12-2022
9	श्री अशवनी कुमार सेंगर, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल-पीबीएम, बीकानेर	30-01-1963	22-03-1994	31-01-2023
10	श्री मोहम्मद फारुक पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ, प्रोग्रामर	वन विभाग, जयपुर	28-01-1963	17-03-1994	31-01-2023
11	श्री रामेश्वर दाधीच, प्रोग्रामर	नगर निगम, उत्तर जोधपुर	02-01-1963	17-03-1994	31-01-2023
12	श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री रतन सिंह राठौड़, प्रोग्रामर	निर्वाचन विभाग, जयपुर	20-03-1963	19-03-1994	31-03-2023
13	श्रीमती अरुणा माथुर, प्रोग्रामर	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	30-03-1963	21-05-1994	31-03-2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 वर्तमान में कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटि की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से

— S. S. —
(संदेश नायक)

आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राज. जयपुर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष. संबंधित विभाग।
5. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, संबंधित जिला।
6. उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, संबंधित जिला।
7. संबंधित अधिकारी।
8. लेखा शाखा, संबंधित विभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

— M —

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव